न्यायालय :– तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दतिया म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी – स्वप्निल वर्मा)

(नियमित व्य.प्रक.क्र.– 153ए / 2023)
(फाईलिंग नंबर–1019 / 2023)
(सी.एन.आर.नं.–एम.पी3201–006630–2023)
(संस्थित दिनांक– 26.10.2023)

1. रामकुमार सेन आयु करीब 51 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप सेन निवासी घटिया मोहल्ला वार्ड–10 तहसील बडौनी जिला दतिया म.प्र. .....**वादी**

//विरूद्ध//

1. आनंद सेन आयु करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामबाबू सेन
2. श्रीमती शांति आयु करीब 58 वर्ष पत्नि स्व0 श्री रामबाबू सेन निवासीगण घटिया मोहल्ला वार्ड–10 तहसील बडौनी जिला दतिया म0प्र0 .....**प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा : श्री सुरेश सेन अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण द्वारा : श्री उमाशंकर झां अधिवक्ता

–:: आदेश ::–
(आज दिनांक 03.08.2026 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश संबंधी आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.स. का निराकरण किया जा रहा है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।

03. वाद पत्र व आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा यह वाद वार्ड–10 घ ाटिया मोहल्ला तहसील बडोनी जिला दतिया में स्थित बेड़ा जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 70 फुट चौडाई उत्तर से दक्षिण 20 फुट कुल क्षेत्रफल 1400 वर्गफुट जिसकी चतुरसीमा पूरब में लोकपाल बुंदेला की जमीन, पश्चिम में शिवचरण सेन की भूमि, उत्तर में पानी की टंकी का रास्ता, दक्षिण में राकेश सेन व उमाचरण की भूमि (वादग्रस्त बेड़ा) के संबंध में स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। वादी का कहना है कि वादग्रस्त बेड़ा उसके पिता रामस्वरूप ने अपने जीवन काल में अपनी निजी धनराशि से अपने बडे भाई सीताराम सेन व छोटे भाई रामबाबू सेन तथा स्वयं को घूरा डालने व जानवर को बांधने के लिए क्रय किया था। वादी का कहना है कि उसके पिता ने वादग्रस्त बेड़ा उनके छोटे भाई रामबाबू अर्थात वादी के चाचा के नाम से क्रय किया था। वादी के ताउ सीताराम, चाचा रामबाबू सेन तथा पिता रामस्वरूप सेन का निधन हो चुका है। सीताराम सेन की मृत्यु के पश्चात उनके वारीसों ने वादग्रस्त बेड़ा का उपयोग व उपभोग करना बंद कर दिया। वादग्रस्त बेड़ा को क्रय करते समय रामस्वरूप सेन ने जब राशि दी थी उस समय वादी की मां व वादी मौजूद था। उस समय वादी के पिता रामस्वरूप ने यह कहा था कि वादग्रस्त बेड़ा को क्रय करते समय दी गई प्रतिफल राशि यदि रामबाबू व सीताराम दे देते हैं तो वह बेड़ा का उपयोग कर सकते है परंतु उनके द्वारा प्रतिफल राशि में उनके द्वारा हिस्सा नही दिया गया। वादी का कहना है कि वह वादग्रस्त बेड़ा के 1/2 भाग अर्थात 700 वर्गफुट मालिक व आधिपत्यधारी के रूप में घूरा डालने व जानवर बांधने के लिए करता आ रहा है। प्रतिवादी क्र.1 द्वारा संपूर्ण वादग्रस्त बेड़ा को हडपने के उद्देश्य से उसका नामांतरण कराने हेतु फर्जी कागज तैयार कर नामांतरण कराने आवेदन तहसील बडौनी में प्रस्तुत किया, जिसकी शिकायत वादी ने पुलिस अधीक्षक दतिया व एसडीएम को की थी। वादी ने इस संबंध में नामांतरण आवेदन पर अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। प्रतिवादीगण संपूर्ण वादग्रस्त बेड़ा पर बलपूर्वक कब्जा करने हेतु प्रयासरत हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जो पंचनामा दिनांक 10.05.2024 अभिलेख पर पेश किया गया है वह पूर्ण रूप से फर्जी है। प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेख पर जो संपत्ति कर की रसीद पेश की गई, है वह भी फर्जी है। वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण लगातार संपूर्ण वादग्रस्त बेड़ा को स्वयं के नाम कराने हेतु प्रयासरत है, और उसने इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किये है। वादी का कहना है कि यदि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त बेड़ा पर

कब्जा करने व फर्जी रूप से अपने नाम नामांतरण कराने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी ने प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है।

04. आवेदन का जबाब इस प्रकार है कि वादी के पिता रामस्वरूप ने वादग्रस्त बेड़ा क्रय नहीं किया था बल्कि वादग्रस्त बेड़ा रामबाबू के द्वारा क्रय किया गया था। वादी के पिता का वादग्रस्त बेड़ा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध कभी भी नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादग्रस्त बेड़ा प्रतिवादी क्र. 1 के पिता व प्रतिवादी क्र.2 के पति रामबाबू ने कुंअर लोकपाल सिंह से दिनांक 07.01.1985 को 300 रू की प्रतिफल राशि अदा कर समक्ष गवाहन भगवानदास, बृजमोहन, रामस्वरूप, रामदास क्रय किया था। क्रय दिनांक से वादग्रस्त बेड़ा पर रामबाबू का और उनके निधन के पश्चात उनके वारिसानों का कब्जा है। नगर परिषद बडौनी दतिया में वादग्रस्त बेड़ा प्रतिवादी क्र.1 के नाम दर्ज हैं। नगर परिषद बडौनी दतिया के द्वारा पृष्ठ क्रमांक 466 / न.प / 2023 दिनांक 27.06.2023 को प्रतिवादी क्र.1 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था और प्रतिवादी क्र.1 से वादग्रस्त बेड़ा का 1015 रूपये कर लिया गया था जिसकी रसीद दिनांक 31.07.2023 प्रतिवादी क्र.1 को दी गई थी। नगर परिषद बडौनी के द्वारा वादग्रस्त बेड़ा में निर्माण करने हेतु प्रतिवादी क्र.1 को प्रत्र क्रमांक 1111 / न.प. / 2023 दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई थी। वादी व उसके पिता के द्वारा वादग्रस्त बेड़ा का उपयोग कभी नहीं किया गया और न ही कभी वादग्रस्त बेड़ा पर उनके द्वारा कोई जानवर बांधे गये। वादी ने असत्य आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

05. उक्त आवेदन के न्यायिक निराकरणार्थ निम्न विचारणीय बिंदु है :–

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धांत वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 लगायत 03

06. प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने हेतु वादी को यह स्थापित करना होता है कि वादी द्वारा अपने इप्सित अधिकार के संबंध में एक सद्भावी एवं विचारणीय योग्य प्रश्न उठाया हो, जिसका गुणदोष के आधार पर निराकरण आवश्यक है तथा वादी के वाद में सफल होने की संभावना हो। वादी का कहना है कि वादग्रस्त बेड़ा उसके पिता रामस्वरूप के द्वारा निजी धनराशि से उनके भाई अर्थात वादी के चाचा रामबाबू के नाम से क्रय किया गया था। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कहना है कि वादग्रस्त बेड़ा रामबाबू ने क्रय किया था। अभिलेख पर वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे ऐसा दर्शित हो कि वादग्रस्त बेड़ा वादी के पिता पिता रामस्वरूप ने उनके भाई रामबाबू के नाम क्रय किया था। अभिलेख पर वादी की ओर से वादग्रस्त बेड़ा की फोटो प्रस्तुत की है, परंतु फोटोग्राफ के आधार पर आज के आधुनिक युग में विश्वास नहीं किया जा सकता और उक्त फोटोग्राफ के आधार पर वादग्रस्त बेड़ा पर वादी का अधिपत्य नहीं माना जा सकता।

07. इसके अतिरिक्त वादी की ओर से अभिलेख पर वादग्रस्त बेड़ा के संबंध में की गई शिकायत दिनांक 04.10.2023, 06.10.2023 की मूल प्रति अभिलेख पर पेश की गई है पंरतु उक्त शिकायत आवेदन के आधार पर वादी को वादग्रस्त बेड़ा का स्वामित्व व आधिपत्यधारी प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वादपत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त बेड़ा पर प्रतिवादीगण का भी 1/2 भाग पर हक है। इससे प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि वादग्रस्त बेड़ा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य का है। किसी संपत्ति पर संयुक्त आधिपत्य भूमि की दशा में विधि यह है कि जबकि दोनों पक्षों का भूमि पर संयुक्त आधिपत्य हो तो किसी एक पक्ष को उसको उपयोग से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि संपत्ति हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति न हो। अभिलेख पर वादग्रस्त बेड़ा का हिंदू परिवार के अविभाजित संपत्ति होने का कोई तथ्य नहीं है।

08. उपरोक्त विवेचना, विधिक प्रतिपादना को दृष्टिगत रखते हुये और दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में वादी अपना मामला प्रथम दृष्टया स्थाापित करने में असफल रहा है।

09. जहां तक प्रश्न विचारणीय बिंदु सुविधा के संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के सिद्धांत का है तो इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि यदि वादी प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित करने में असफल रहता है तो अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत गोपाल नारायण विरूद्ध म. प्र. राज्य 1997 जेएलजे 662** अवलोकनीय है।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी/आवेदक के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अर्थात वादी/आवेदक अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का पात्र नहीं है।

11. परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. **अस्वीकार** किया जाता है।

12. इस आदेश का प्रभाव गुण–दोष के आधार पर किये जाने वाले प्रकरण के अंतिम निर्णय पर नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का व्यय, प्रकरण के अंतिम निराकरण पर व्यय के संबंध में होने वाले आदेश पर निर्भर होगा।

दिनांक –03.08.2026

स्थान – दतिया
आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित व पारित किया गया।

आदेश मेरे निर्देशन में टंकित।

SWAPNIL VERMA
Digitally signed by SWAPNIL VERMA
Date: 2026.08.04 11:25:53 +0530

(श्रीमती स्वप्निल वर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ ख
दतिया जिला दतिया

(श्रीमती स्वप्निल वर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
दतिया जिला दतिया